# कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर– जयपुर)

**नौगांव – 301 025, अलवर (राज.)**

ई-मेल : dean.coanavgaon@sknau.ac.in मो. 9414774474

डॉ. सुमन खण्डेलवाल
अधिष्ठाता


क्रमांकः एफ.(प्रक्षेत्र भंडार)/कृ.महा.नौगावां/2026–27/97 दिनांकः 11/05/2026

## खुली निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, नौगावां को एक वर्ष के लिए (जुलाई, 2026 से जून, 2027) आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मो/सेवा प्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो से निर्धारित प्रपत्र मे दिनांकः 19.05.2026 को दोपहरः 12:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/– कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद भुगतान कर दिनांकः 19.05.2026 को **प्रातः 12:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in,or sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर/किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांकः 19.05.2026 को **दोपहरः 12.30 बजे तक जमा होगें**। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **दोपहर 02:30 बजे** उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

| क्र.सं. | कार्य विवरण | अनुमानित राषि(रू) | बेली प्रतिभूति राषि |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्र के प्रक्षेत्र पर कृषि कार्य, कार्यालय में सफाई, बागवानी, कम्प्यूटर एवं अन्य कार्य हेतु अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्चकुशल श्रमिक आपूर्ति। | 9,90,000/– | 19800/– |

Suman 11/05/2026
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्तनियंत्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा के दिन अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करें।
2. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. समस्त समिति सदस्य .......................................... कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर।
4. सूचनापट्ट पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/ग्राम पंचायत नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
5. रक्षित/निविदा पत्रावली।

Suman 11/05/2026
अधिष्ठाता

# श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा

| क्र.सं. | विवरण |
|---|---|
| 1 | योजना का नामः– **कृषि महाविद्यालय, नौगावां**, पर विभिन्न कार्यो के लिए कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा। |
| | कार्य की अनुमानित अवधि :– 1 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 |
| 3 | निविदा संदर्भ :–केन्द्र प्रक्षेत्र एवं कार्यालय पर विभिन्न कार्यो के लिए कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा। |
| 4 | निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय व दिनांक :–कार्यालय कार्य दिवस में निविदा जारी होने से लेकर 19 मई, 2026 प्रातः 12:00 बजे तक। |
| 5 | निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथिः– 19.05.2026 को दोपहरः 12:30 बजे तक। |
| 6 | निविदा खोलने की तिथिः–19.05.2026 को दोपहर 02:30 बजे। |
| 7 | निविदा खोलने का स्थानः– कृषि महाविद्यालय, नौगावां। |
| 8 | पत्र व्यवहार हेतु पताः– कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर। |
| 9 | फर्म द्वारा घोषणा :–फर्म के काली सूची में नही होने से संबंधित। |
| 10 | दरें:–प्रपत्र–2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है। |
| **NIB : SKN2627A0036** | **UBN: SKN2627SSOB00034** |

## निविदा हेतु शर्ते

1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर **"अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य"** लिखा हो को कृषि महाविद्यालय, नौगावां–301 025 को प्रेषित होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देनी होगी किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा दाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसके प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना जरूरी है।
4. निविदा दाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
5. निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्य दिवस में रूपये 500/– जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एंव दायित्व निविदादात का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. श्रमिकों को विभिन्न कार्य यथा कार्यालय कार्य/प्रक्षेत्र कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देषानुसार करने होंगे तथा श्रमिक व्यय एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था निविदा दाता को ही करनी होगी। जिनका कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
8. प्रक्षेत्र/कार्यालय कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विघुत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगावां को होगा एवं जो भी निर्णय होगा संवेदक को मान्य होगा।
10. श्रमिकों के लिए आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था संवेदक को ही करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
11. निर्धारित अवधि के दौरान प्रथम वरियता प्राप्त निविदा दाता द्वारा कार्य नहीं संभालने पर दूसरी वरियता प्राप्त निविदा दाता को कार्य आदेश जारी कर दिया जायेगा एवं अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तारीख से 30 जून, 2027 तक के लिए मान्य होगा।
12. निविदा दाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदा दाता या उसके मजदूर केन्द्र परिसर में मदिरा या अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. आवश्यकतानुसार श्रमिकों को किसी भी कार्य (प्रक्षेत्र अथवा कार्यालय) पर लगाया जा सकता है। केन्द्र पर श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएं जाएंगे एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।

14. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गयें श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एंव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।

16. चौकीदार/श्रमिक आदि अपने कार्य एवं उपस्थिति का सत्यापन प्रत्येक माह के अंत में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से करायेगा। सत्यापन उपरांत ही उस माह का मानदेय देय होगा।

17. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक/चौकीदार कार्य से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

18. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।

20. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

**21. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर राशि रूपये 500/– प्रतिदिन के हिसाब से इस कार्यालय में शास्ति (पेनल्टी) की राशि निविदा दाता को जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**

22. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई.एस. आई. जमा कराना होगा। जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बिटेषन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

24. निविदा दाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी जोखिम एवं लागत पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदा दाता से की जावेगी तथा विलंब से कार्य करने पर शास्ति (पेनल्टी) की कटौती GG & AR, TTPPA2012 व RTPPR2013 के प्रावधानानुसार की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।

**25. निम्नांकित प्रमाण पत्र मजदूरी के बिल के साथ संलग्न करना होगा।**

**<u>प्रमाण पत्र</u>**

**प्रमाणित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, नोगांवा में अनुबन्धित विविध श्रेणियों/दक्षता के श्रमिकों का माह..........20....... में श्रमिकों का मानदेय उनके बैंक खातें में NEFT के माध्यम से जमा करा दिया गया है। उक्त सभी भुगतान की ई.पी.एफ व ई.एस. आई राशि सम्बन्धित श्रमिकों के EPF/ESI खातें में जमा करा दी गई है। इसकी पुष्टि सम्बन्धित श्रमिको के भुगतान सूची ई.पी.एफ व ई.एस. आई सूची (नाम एवं खाता संख्या सहित है)से कर ली गई है एवं प्रति संलग्न है।**

26. सफल निविदा दाता को रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व संवेदक द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

27. अगर निविदा दाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है एवं उसके द्वारा जमा अमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।

28. कृषि महाविद्यालय, नौगावां, द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

29. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व. हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।

30. निविदा दाता/फर्म को कार्य की अनुमानित राशि रूपये 9,90,000/—का 2 प्रतिशत रूपये 19800/— धरोहर राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राप्ट/चैक द्वारा जो कि श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,, नौगावां के नाम से हो निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

31. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. न्युनतम मजदुरी दर श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आईआर./2000/पार्ट/00212, दिनांकः 13.12.2024 के अनुसार होगी।

33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर के अनुसार लागू होगी।

34. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

35. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतू अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

36. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम—68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्ते निविदा का भाग मानी जाएगी।

37. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।

38. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम—68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

39. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

40. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

42. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./ श्रम/2000/पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी।

43. नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।

44. कार्यों का भुगतान संतोशजनक होने पर बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं वहां से पास होने पर ही भुगतान किया जायेगा। समस्त भुगतान चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

45. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करवायेगी।

46. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

47. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।

48. समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ने के उपरांत अपने हस्ताक्षर करें।

**निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर**

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिडसिक्यूरिटि का DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है । इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
नाम, पता एवं मोबाइल न

Suman

# कृषि महाविद्यालय, नौगावां
## (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

### विभिन्न कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

1. संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। (संलग्न लिफाफा नं.1 में रखे)

| क्र.सं. | विवरण | रजि. सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | संलग्नक क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) | | | | |
| 2 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 | | | | |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 | | | | |
| 4 | वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. | | | | |
| 5 | आयकर (पैन नम्बर) | | | | |
| 6 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत। | | | | |

मैं ........................................................................ उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए कृषि एवं सबंधित कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ , जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही है।

**निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर**
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

# कृषि महाविद्यालय, नौगावां

## (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

**श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र–1**

(लिफाफा न. 1 में रखें)

1. ..........................................................................................के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)।

2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है **कृषि महाविद्यालय, नौगावां**।

4. सन्दर्भ : ..........................................................................................................

5. हम निविदा सूचना संख्या........................दिनांक........................ की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।

6. ड्राफ्ट नं./चैक संख्या/नगद/ रसीद संख्या............................ दिनांक.................. रूपये.............................. धरोहर राशि के साथ संलग्न है।

7. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशनए PAN, GST नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।

8. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।

Suman

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
नाम, पता एवं मोबाइल न

# कृषि महाविद्यालय, नौगावां

## (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

## कृषि श्रमिक आपूर्ति

### तकनीकी निविदा प्रपत्र–2

(लिफाफा न. 1 में रखें)

निविदा दाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ..........................................................................................

..........................................................................................

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करे) : ..........................................................................................
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदा दाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदा दाता को रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सील बंद लिफाफे में जमा की जावेगी तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिकों को कार्यालय एवं कृषि कार्य हेतू जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, साफ सफाई, निराई/गुडाई/कटाई/सिंचाई/दवाईयों का छिड़काव/थ्रेसिंग कार्य/नर्सरी/चौकीदारी/स्टोर आदि कार्य हेतू लगाया जा सकता है।
9. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोश–कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद बैंक खाते में किया जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बिटेषन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करे)।
12. जी.एस.टी., ई.एस.आई. और ई.पीए.फ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करे)।
13. पैन नं. .............................................. (छाया प्रति संलग्न करे)।
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदा दाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

**नोटः** निविदा के साथ दिये हुए सभी प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
नाम, पता एवं मोबाइल न

Suman

# कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

## वित्तीय निविदा प्रपत्र–2
(लिफाफा नं. 2 में रखे)

कृषि महाविद्यालय के कार्यालय और फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के लिए श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

| क्र सं. | कार्य की प्रकृति/श्रमिक का प्रकार | कार्य की प्रकृति/श्रमिक का प्रकार | सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर रूपये प्रतिदिन | EPF दर प्रतिशत (13 प्रतिशत) | ESI दर प्रतिशत (3.25 प्रतिशत) | सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति श्रमिक प्रति दिन | कुल राशि (4 से 7 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अकुशल श्रमिक | 285/– | | | | | |
| 2 | अर्द्ध कुशल श्रमिक | 297/– | | | | | |
| 3 | कुशल श्रमिक | 309/– | | | | | |
| 4 | उच्च कुशल श्रमिक | 359/– | | | | | |

**निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर**

तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

Suman

प्रपत्र "अ"

# वित्तीय विवरण

| वित्तीय वर्ष | ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू) |
|---|---|
| 2023—24 | |
| 2024—25 | |
| 2025—26 | |
| योग | |
| औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष सी.ए. द्वारा प्रमाणित | |

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

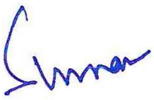

प्रपत्र "ब"

# निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाईके रूप में जहाँ कही भी श्रमिकों की आपूर्ति की है, वहां पर विगत 3 वर्षों के दौरान हमारा कार्य संतोषप्रद रहा है एवं कार्य असंतोषप्रद होने के कारण किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा हमारे फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में दोषी होने का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्ड़ित नहीं किया गया है।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

प्रपत्र "स"

# Fall clause प्रमाण–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने कृषि व अन्य कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबंध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड व स्वायतशाशी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

Suman

प्रपत्र "द"

# निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिस कार्य के लिए निविदा दी है, मैं/हम उसके पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मेरे/हमारे विरूद्ध कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक